कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), पूर्वी चम्पारण
जिला– मोतिहारी

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के प्रारंभ से सितम्बर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 731 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14637 / 419 दिनांक– 13/02/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मोतिहारी

13/02/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
17 FEB 2017
संख्या 1478
बिहार, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–731/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी
2.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री ए0के0 गुप्ता, कार्यपालक अभियंता
3.	लेखा वर्ष	प्रारंभ से सितं0 2016
4.	अंकेक्षण अवधि	13.10.2016 से 24.10.2016
5.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र	रोकड़ बही, बैंक पासबुक, योजना पंजी, योजनाभिलेख आदि की जाँच की गयी।
6.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 2. श्री राजेश कुमार II, स0ले0प0अ0 3. श्री अमितेश कुमार, व0ले0प0
7.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री बी0एस0गौतम, व0ले0प0अ0
8.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री ए0के0 गुप्ता, कार्यपालक अभियंता
9.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 24.10.2016 को

10. **प्रशासन**

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	मो0 कासिम अंसारी	कार्यपालक अभियंता	04.05.2010	14.09.2014
2	श्री ए0के0 गुप्ता	कार्यपालक अभियंता	15.09.2014	अबतक

11. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

प्रथम अंकेक्षण

12. वित्तीय अधिदृश्य

मुख्यमंत्री शहरी निकाय योजना

year	OB	Grant	Int	Other Receipt	Total Receipt	Total	Yoj exp	Other exp	Total exp	Balance
2013-14	15010473	29645082	823908	264334	30733324	45743797	30402146	0	30402146	15341651
2014-15	15341651	54572617	1327120	513450	56413187	71754838	21614365	0	21614365	50140473
2015-16	50140473	113600404	3068978	1437951	118107333	168247806	85785616	0	85785616	82462190

113

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र</u>

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई /कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

<u>भाग–II खण्ड (क)</u>

<u>शून्य</u>

<u>भाग–II खण्ड (ख)</u>

कंडिका(1)– ढुलाई पर अनियमित भुगतान रु 16.88 लाख

वित् विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.1.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्ही संस्थानों से किया जाना है जो वैट से निबंधित हो साथ ही निर्माण कार्य में लघु खनिज यथा –पत्थर,बालू, ईट, मिट्टी एवम अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है उक्त लघु खनिज की खरीदारी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक, याउप – पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमाली के नियम 40(10) केअनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके प्रपत्र 'एम' तथा 'एनं' केशपथ को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर दे स्वमित्य के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवम अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है

योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि ढुलाई पर रु.864861. व्यय किया गया परन्तु किसी भी अभिलेख में न ही चालान और न ही प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' कार्यकारी एजेंसी द्वारा सलंग्न किया गया था जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेंसियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है विवरण निम्न है

क्रम स०	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	अभिकर्ता का नाम	सामग्री/मात्रा	ढुलाई पर व्यय
1	**मोतिहारी नगर परिषद् क्षेत्र के मुख्य पथ से C.J.M.आवास वाले पथ में P.C.C. निर्माण कार्य**	**34 F2/2012-13**	**श्री सुनील कुमार जुवाफर , छोदोदानो**	स्टोन चिप्स/129.30 M3	169789
				सोन बालू/64.50 M3	124052
2	वार्डन.23 में श्री अखिलेश शरण वर्मा के बगलवाली गली में **P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य**	41 F2/2013-14	श्री अभय कुमार	स्टोन चिप्स/68.62 M3	91521
				सोन बालू/52.82 M3	71921
3	राजा बाज़ार मुख्या पथ से आई.पी.एस. स्कूल तक पथ एवम नाला निर्माण	27 F2/2013-14	श्री मनीष कुमार	स्टोन चिप्स/86.99 M3	115938
				सोन बालू/43.10 M3	58687
				मेटल ग्रेड 111	66588
4	नगर पंचायत पकरी दयाल में वार्ड न 15 में सतिवारी पोखर पर छठ घाट का निर्माण निर्माण	44 F 2 2014-15	श्री संजीव कुमार सिंह	स्टोन चिप्स/129.86M3	237842
				सोन बालू/91.58 M3	167721
5	वार्डन 4 में ब्रह्म स्थान स्थितघाट का सीढ़ी निर्माण एवम सौन्दर्यीकरण कार्य	75 F2 2015-16	श्री अभय कुमार	स्टोन चिप्स/57.24M3	106057
				सोन बालू/37.08 M3	82903
6	वार्डन 27 में गुरुशरणजीचांदमारीके घर के पास से पूर्व में DUDA से बनेसड़क के अवशेष भाग का पथ निर्माण कार्य	7 F2 2015-16	श्री सोनू कुमार पटेल	स्टोन चिप्स/78.28M3	136984
				सोन बालू/70258 M3	121165
7	ढाका –घोदसाहन रोड में मुन्ना जी के मिल से ...उपेन्द्रसहके घर तक **P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य**	57 F 2 2014-15	श्री विकास कुमार गुप्ता	स्टोन चिप्स/37.506M3	75118
				सोन बालू/31.865M3	61911
					1688197

उत्तर में बताया गया कि भविष्य में 'एम' व 'एन' फार्म प्राप्त करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियम का पालन नहीं किया गया, फलस्वरूप रू0 16,88,197 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका(2)– अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता ₹ 4.54 लाख

अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –प्र06/1!बी0–122003 3376 एस दिनांक 17.08.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार अगर कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन में Serious Unbalanced कम दर पर अपनी

11

निविदा में उद्वत भरता है तो उनसे लिखित रूप में मद का विस्तृत दर विश्लेषण प्राप्त किया जाय कि वे इस कार्य को कैसे संपादित करायेगें तथा Serious Unbalanced दर के लिए संवेदक से Additional Performance Guarantee की माँग की जाय।

1. परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

3. परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 1 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी।

कार्यपालक अभियन्ता **जिला** शहरी **विकास अभिकरण, मोतिहारी** के लेखाभिलेखों के नमूना जाँच के कम में पाया गया कि निम्न योजनाओं की निविदा में सफल संवेदकों द्वारा परिमाण विपत्र दर से 1 से 15 प्रतिशत कम दर उद्वत किया गया था परन्तु उनसे नियमानुसार Additional Performance Guarantee जमा नहीं करायी गयी थी। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क. सं.	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	प्राक्कलित राशि : रु	एकरारित राशि रु	कम दर (%)	A.P.G. दर	A.P.G. मूल्य
1	**मोतिहारी नगर परिषद् क्षेत्र के मुख्य पथ से C.J.M. आवास वाले पथ में P.C.C. निर्माण कार्य**	**34 F2/2012-13**	**953240**	**810254**	15	@ 8.75%	70897
2	वार्डन.23 में स्टेशन चावक से संतूस्ती होटल जानेवाली........भाग में P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य	56 F2/2013-14	305630	259786	15	@ 8.75%	22731
3	छतौनी अमृतमध्यविद्यालय के सामने पार्क निर्माणकार्य	1 F2/2014-15	2088908	1775751	15	@ 8.75%	155378
4	मोतिहारी के सौर्यस्तम्भ का सौन्दर्यीकरणएवम पार्क निर्माण	33 F2/2012-13	917270	779679	15	@ 8.75%	68222
5	वार्डन.23 में श्री अखिलेश शरण वर्मा के बगलवाली गली में P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य	41 F2/2013-14	904954	769210	15	@ 8.75%	67306
6	नगर पंचायत दयाल में वार्ड नं. 15 में संतिवारी पर छठ घाट का निर्माण	44F2/2014-15	2058615	1852753	10	@3.75%	69478
					कुल		**454012**

उत्तर में बताया गया कि क.सं. 1 से 4 में वर्णित योजनाओं के एन.आई.टी. में एडिशनल परफॉरमेन्सी गारन्टी का शर्त नहीं था। कम सं. 6 में वर्णित योजना में एडिशनल परफॉरमेन्सी गारन्टी की

राशि ली गई है। कम सं. 2, 3 एवं 5 में वर्णित योजना में एडिशनल परफॉरमेन्सी गारन्टी का राशि नहीं लिया गया है। भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त नियम की अवहेलना कर अतिरिक्त परफॉरमेन्सी गारन्टी की राशि नहीं ली गयी।

कंडिका(3)(क)– विलम्ब शुल्क की कम कटौती (रु 4.34 लाख)

According to F2 Agreement Condition Of Contract Clause 2 the Contractor will be liable to pay as compensation as amount equal to $\frac{1}{2}$ *percent* on the said estimated cost of the whole work every day that the due quantity of work remains in completely provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost of the work as shown in the tender.

परन्तु योजना संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा इसके विपरीत जितना कार्य एकरारनामा के अनुसार कार्य सम्पति के बाद में किया गया हो उस कार्य का 10 % बिलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करते समय काट लिया गया विवरण निम्न है

क्रम स०	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	संवेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	की जाने वाली कटौती	की गयी कटौती	कम कटौती	विलंब
1	मोतिहारी के शौर्य स्तम्भ का सौन्दर्यीकरण एवम पार्क निर्माण	33 F2/ 2012-13	श्री सोनू कुमार पटेल	917270	91727	14998	76729	6 माह से अधिक
2	छतौनी अमृत मध्य विद्यालय के सामने पार्क निर्माण कार्य	1 F2/ 2014-15	श्री जीतेन्द्र सिंह	2088908	208890	8018	200872	लगभग 2 माह
3	वार्डन.23 में श्री अखिलेश शरण वर्मा के बगलवाली गली में P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य	41 F2/ 2013-14	श्री अभय कुमार	904954	90495	42182	48313	1 माह 13 दिन
4	ढाका –घोदसाहन रोड में मुन्ना जी के मिल से ...उपेन्द्रसहके घर तक P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य	57 F 2 2014-15	श्री विकास कुमार गुप्ता	1310547	131055	69426	61629	11 माह से अधिक
5	नगर पंचायत ढाका के ढाका गाँधी चौक से भारत जलपान होते हुए मदन पटेल के घर तक P.C.C. कार्य	39 F 2 2015-16	श्री शशि कुमार	443955	44395	13207	31188	10 माह
6	वार्डन.23 में स्टेशन चावक से संतूस्ती होटल जाने वाली........भाग में P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य	56 F2/ 2013-14	श्री अभय कुमार	305630	30563	11433	19130	9 माह से अधिक
	कुल						437861	

19

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है संवेदक के विपत्र से विलंब शुल्क की कम कटौती कर संवेदक को लाभ पहुँचाया गया

उत्तर में बताया गया कि जानकारी के अभाव में विलंबित कार्य के परिमाण का 10 प्रतिशत काटा गया है। भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है। भविष्य में परिमाण विपत्र की राशि का 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी ।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के शर्त का पालन नही किया गया, फलस्वरूप अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय है।

(ख) पेनाल्टी की कम वसूली राशि रू 1.00 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि नि0आ0सू0 सं0 एवं वर्ष – 01/13–14 (कार्य का नाम–) नगर परिषद मोतिहारी क्षेत्र के चॉदमारी मुख्य पथ से गुरूशरण सिंह के घर होते हुए कैप्टन शिवनाथ वर्मा के घर तक नाला एवं पी.सी.सी. निर्माण किया जाना था,

जिसकी प्रा0राशि – रू0 14,42,000,
एकरारनामा की राशि एवं तिथि – रू0 13,73,359/28.11.2013,
कार्यादेश की तिथि – 28.11.2013,
कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–27.02.14,
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि – 07.10.2014, एवं
संवेदक का नाम – श्री सानु कुमार पटेल ।

इस कार्य हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संवेदक द्वारा प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा, भुगतान करना होगा।

एकरारनामा एवं मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तीन माह अर्थात् दिनांक 27.02.14 तक कार्य को पूर्ण करना था जो लगभग आठ माह विलम्ब से दिनांक 7.10.14 को पूर्ण किया गया। कार्यालय द्वारा इस विलम्ब हेतु संवेदक से हर्जाना वसूल किया गया जो निम्नवत् है:–

	मापी पुस्त की तिथि	मापीपुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि	समयावधि विस्तार/हर्जाने की राशि रु	वसूली योग्य हर्जाने की राशि रु	कम वसूली गयी हर्जाने की राशि रु
प्रथम	16.1.14	05	7.2.13	322749	0		
द्वितीय	16.2.14	11	22.2.14	832385	0		
तृतीय	24.2.14	14	9.4.14	1003026	0		
चतुर्थ एवं अंतिम	7.10.14	20	19.5.15	**1373344**	**37032**	**137336**	**100304**

बी0ओ0क्यू0 के अनुसार कार्य की प्राक्कलित राशि रू0 13,73,359 थी। कार्य में विलंब को देखते हुए संवेदक से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना था, जो रू0 1,37,336 होता है, जबकि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि हर्जाने की राशि की कटौती, प्राक्कलित राशि के अनुसार न करके मापी की राशि के अनुसार की गयी। इस प्रकार संवेदक को रू0 100304 (137336–37032) का अधिक भुगतान किया ।

उत्तर में बताया गया कि जानकारी के अभाव में विलंबित कार्य के परिमाण का 10 प्रतिशत काटा गया है। भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है। भविष्य में परिमाण विपत्र की राशि का 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के शर्त का पालन नहीं किया गया, फलस्वरूप अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय है।

(ग) कार्य पूर्णता में विलंब के फलस्वरूप हर्जाने के रूप में प्रावधान से कम राशि की वसूली, रू0 16,026

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के लेखाभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित संचिकाओं की नमूना जाँच की गयी। जाँच में पायी गयी त्रुटियाँ/अनियमितताएँ निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम–नगर परिषद मोतिहारी क्षेत्र के वार्ड नं0 23 शंतिपुरी–आनंदपुरी में श्री चंद्रकिशोर के घर से नवल किशोर सिंह के मकान तक भाया प्रो0 एस0के0 झा एवं गौरीशंकर सिंह के गली होते हुए नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य

प्रा0राशि – रू0 953229

एकरारनामा की राशि एवं तिथि – रू0 8,10,245/01.10.2012

कार्यादेश की तिथि – 01.10.2012

कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–30.12.12

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि – 25.12.2014

संवेदक का नाम – प्रमोद सिंह

इस कार्य हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संवेदक द्वारा प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा, भुगतान करना होगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तीन माह अर्थात् दिनांक 30. 12.12 तक कार्य को पूर्ण करना था जो लगभग दो वर्ष विलंब से अर्थात् दिनांक 25.12.14 को पूर्ण किया गया। कार्यालय द्वारा इस विलंब हेतु संवेदक से हर्जाना वसूल किया गया जो निम्नवत् हैः–

मापी पुस्त की तिथि	मापीपुस्त पृष्ठ सं0	हर्जाने की राशि
21.11.13	05	50457
09.01.14	09	9870
30.12.14	13	18969
	कुल	**79296**

बी0ओ0क्यू0 के अनुसार कार्य की प्राक्कलित राशि रू0 953229 थी। कार्य में विलंब को देखते हुए संवेदक से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना था, जो रू0 95,328 होता है, जबकि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि हर्जाने की राशि की कटौती, प्राक्कलित राशि के अनुसार न करके मापी की राशि के अनुसार की गयी। इस प्रकार संवेदक को रू0 16027 (95323– 79296) का अधिक भुगतान हो गया जो वसूलनीय है।

उत्तर में बताया गया कि जानकारी के अभाव में विलंबित कार्य के परिमाण का 10 प्रतिशत काटा गया है। भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है। भविष्य में परिमाण विपत्र की राशि का 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के शर्त का पालन नही किया गया, फलस्वरूप अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय है।

(घ) नि0आ0सू0 सं0 एवं वर्ष – 01/12–13

कार्य का नाम– नगर पंचायत पकड़ीदयाल मोतिहारी पी.डब्ल्यू.डी. रोड से जगतिया (पासवान टोला) से मदन मुरारी प्रसाद के दरवाजे से नगर मुहल्ला होते हुए सिकरहना नदी के सुलिस गेट तक कॉवर सहित नाला निर्माण कार्य

प्रा0राशि – रू0 781825
एकरारनामा की राशि एवं तिथि – रू0 **781825**/27.11.2013,
कार्यादेश की तिथि – 27.11.2013,
कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–26.02.14,
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि – 02.03.2014, एवं
संवेदक का नाम – श्री रोहित ।

इस कार्य हेतु संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा, यदि ऐसा नही किया जाता है तो संवेदक द्वारा प्रतिदिन प्राक्कलित राशि के आधा प्रतिशत की दर से, जो अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत होगा, भुगतान करना होगा।

एकरारनामा एवं मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तीन माह अर्थात् दिनांक 26.02.14 तक कार्य को पूर्ण करना था जो लगभग चार दिन विलम्ब से दिनांक 2.03.14

को पूर्ण किया गया। कार्यालय द्वारा इस विलम्ब हेतु संवेदक से हर्जाना वसूल किया गया जो निम्नवत् है:–

	मापी पुस्त की तिथि	मापीपुस्त पृष्ठ सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि	समयावधि विस्तार/हर्जाने की राशि रु	वसूली योग्य हर्जाने की राशि रु	कम वसूली गयी हर्जाने की राशि रु
प्रथम	28.1.14	03	28.2.14	424056	0		
द्वितीय एवं अंतिम	2.3.14	08	4.9.14	**781643**	0	**15637**	**15637**

बी0ओ0क्यू0 के अनुसार कार्य की प्राक्कलित राशि रू0 781825 थी। कार्य में विलंब को देखते हुए संवेदक से आधे प्रतिशत की दर से कटौती की जानी थी, जो रू0 781825 का 2 प्रतिशत (04 दिन विलम्ब) ₹15637 होता है, जबकि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि हर्जाने की राशि की कटौती की जानी है। इस प्रकार संवेदक को रू0 15637 की वसूली की जानी चाहिए।

उत्तर में बताया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर ही कार्य करा लिया गया है, फलस्वरूप हर्जाने की राशि की माँग नहीं की जा सकती है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मापी पुस्त की पृष्ठ सं0 07 के अनुसार कार्य दिनांक 02.03.2014 को पूर्ण हुआ था। अतः हर्जाने की राशि रू0 15637 वसूलनीय है।

कंडिका(4)– योजना के प्राक्कलन में मनमाने तरीके से फेरबदल किया जाना, योजना अपूर्ण

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के लेखाभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित संचिकाओं की नमूना जाँच की गयी। जाँच में पायी गयी त्रुटियाँ/अनियमितताएँ निम्नवत् है:–

नि0आ0सू0 सं0 एवं तिथि– 03/14–15/05.01.2015

योजना का नाम–ढ़ाका प्रखंड परिसर एवं अन्य जगहों पर प्याउ अधिष्ठापन कार्य (कुल 10)

प्रा0राशि – रू0 17,47,393 (बी0ओ0क्यू0 के अनुसार)

–रू0 24,53,200(निविदा आमंत्रण सूचना एवं जिलाधिकारी के स्वीकृत्यादेश के अनुसार)

एकरारनामा की राशि एवं तिथि – रू0 17,47,393/02.02.15

कार्यादेश की तिथि – पत्रांक 68/03.02.15

कार्य पूर्णता तिथि (एकरारनामा के अनुसार)–02.08.15

कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि – अंकेक्षण तिथि तक अपूर्ण

अंतिम मापी की तिथि एवं राशि– 30.05.15/10,43,600

संवेदक का नाम – विकास कुमार गुप्ता

उपरोक्त संचिका की जाँच में पाया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना में योजना का प्राक्कलन रू0 1747393 पाया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी के स्वीकृत्यादेश सं0 35/17.07.14 के द्वारा भी इस योजना की प्राक्कलित राशि रू0 24,53,200 दर्ज थी एवं इसी आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रथम किस्त

85

की राशि 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 12,26,600 निर्गत की गयी थी। इसके बावजूद आगे जाँच में पाया गया कि सामग्री परिमाण विपत्र मात्र रू0 17,47,393 ही निर्गत किया गया था। साथ ही संवेदक के साथ भी इतनी ही राशि का एकरारनामा किया गया था। इस प्रकार का परिवर्तन किसके आदेश से किया गया यह संचिका में नहीं पाया गया। मापीपुस्त के अनुसार संवेदक द्वारा किए गए कार्य की कुल राशि रू0 10,43,600 पायी गयी। अंतिम मापी दिनांक 30.05.15 को की गयी थी। इसके बाद अंकेक्षण तिथि तक कोई कार्य नही हुआ था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्णता में विलंब के पश्चात् प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत राशि अर्थात् रू0 1,74,739 संवेदक से वसूली योग्य है। इसमें से मात्र रू0 1,50,194 सुरक्षित जमा राशि के रूप में प्राप्त है।

कार्य पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय होने के बावजूद इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। जिस कार्य को छः माह में पूर्ण करना था आज डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण है। कार्यालय द्वारा भी कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर अंकेक्षण दल द्वारा पृच्छा की गयीः–

1. किस प्राधिकार के तहत प्राक्कलित राशि रू0 24,53,200 के विरूद्ध मात्र रू0 17,47,393 का ही एकरारनामा संवेदक के साथ किया गया?
2. निर्धारित समयावधि के बाद भी योजना के अपूर्ण रहने का क्या कारण है?
3. योजना को पूर्ण कराने हेतु कार्यालय स्तर से अब तक क्या कार्रवाई की गयी?

उत्तर में बताया गया कि इस कार्य में अनुसूचित मद का निविदा किया गया था जिसकी राशि रु 1747393 थी। संवदेक के द्वारा रु 10,43,600 का कार्य किया गया है। बोरिंग का कार्य अभी शेष है, जिसके लिए संवेदक को कई बार पत्र लिखा गया है । जल्द ही बोरिंग का कार्य पूर्ण कराकर महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। गैर अनुसूचित मद की राशि लगभग ₹ 6,00,000 रु है। जिसका चौथी बार पुनः कोटेशन करने पर कोटेशन प्राप्त हुआ है। कोटेशन की स्वीकृति अधीक्षण अभि0 के द्वारा होने के पश्चात् इस कार्य को पूर्ण कराकर महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्राक्कलन को विभाजित करने से पूर्व किसी सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति नही ली गयी थी।

कंडिका(5)– योजना मद की सूद की राशि को अवरूद्ध कर रखा जाना, रू0 67,23,621

जिला शहरी विकास अभिकरण में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला पदाधिकारी द्वारा, जिला संचालन समिति द्वारा पारित योजनाओं के विरूद्ध निर्गत की जाती है। तत्पश्चात् कार्य की प्रगति के अनुसार अगली किस्त की राशि निर्गत की जाती है। निर्गत राशियों को अभिकरण द्वारा एक अलग बैंक खाता में रखा जाता है। बैंक खातों में रखने के कारण जमाओं पर ब्याज की भी प्राप्ति होती है। प्राप्त सूद की राशि को पुनः स्वीकृतिदाता को वापस किया जाना चाहिए ताकि अन्य योजनाओं में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के योजनामद से संबंधित रोकड़ बही की समीक्षा में पाया गया कि जन0 2012 से सितं0 2016 की अवधि में विभिन्न बैंकों से सूद के रूप में रू0 67,23,621 की प्राप्ति हुई थी (विस्तृत विवरणी संलग्न)। आगे जाँच में पाया गया कि इस राशि को जिला पदाधिकारी को वापस नहीं किया था तथा अंकेक्षण तिथि तक अभिकरण के रोकड़ बही में ही पड़ा हुआ था। राशि को वापस नहीं किए जाने के कारण इसका इस्तेमाल किसी योजना में नहीं किया जा सका। इस प्रकार यह राशि बिना किसी उद्येश्य के अभिकरण के खाते में पड़ी है।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के आलोक में उक्त राशि को जिला पदाधिकारी, पू0चं0 मोतिहारी को वापस कर दिया जाएगा।

कंडिका(6)– योजना का नाम : मोतिहारी नगर परिषद् क्षेत्र के मुख्य पथ से C.J.M.आवास वाले पथ में P.C.C. निर्माण कार्य

एकरारनामा स० : 34 F2/2012-13
संवेदक का नाम : श्री सुनील कुमार जुवाफर , छौड़ादानी
प्राक्कलित राशि : रु 953240
एकरारनामा की राशि :रु 810254 (15 % below)
कार्य प्रारभ की तिथि :6.10.2012
कार्यसमाप्ति की तिथि :5.1.2013
कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : 5.1.2013
अद्यतन भुगतान : रु 809740

जिला शहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी के संचालन समिति द्वारा मुख्य पथ से C.J.M.आवास वाले पथ में मरम्मती एवम कालीकरण कार्य का चयन किया गया साथ ही जिला पदाधिकरी द्वारा भी प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया तथा जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा इसी के लिए निविदा भी आमंत्रित किया गया परन्तु इसके स्थान पर योजना का कार्यान्वयन मुख्य पथ से C.J.M. आवास वाले पथ में P.C.C. निर्माण का कार्य किया गया

इस प्रकार जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा पथ को कालीकरण के स्थान पर P.C.C. किया गया जो कि अनियमित है ।

उत्तर में बताया गया कि तकनीकी कारणों से उक्त कार्य को कालीकरण कार्य न करके पी0सी0सी0 का कार्य करवाया गया है। प्राक्कलन भी पी0सी0सी0 का ही स्वीकृत है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि जि0श0वि0अभि0 द्वारा संचालन समिति से स्वीकृत सड़क को कालीकरण कार्य न करके पी0सी0सी0 कार्य कराया गया है जो अनियमित है।

कंडिका(7)– **योजना का नाम :** ढाका –घोड़ासहन रोड में मुन्ना जी के मिल से ...उपेन्द्र साह के घर तक **P.C.C.** निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य

एकरारनामा स० **: 57 F2/2014-15**

संवेदक का नाम : श्री विकास कुमार गुप्ता

प्राक्कलित राशि : रु1310547

एकरारनामा की राशि :रु 1310547

कार्य प्रारभ की तिथि :26.3.2015

कार्यसमाप्ति की तिथि :25.6.2015

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : अपूर्ण

अधतन भुगतान : रु 694250.00

प्राक्कलन और एकरारनामा के अनुसार 531 फीट लम्बाई में मिट्टी कार्य , ब्रिकओन एज सोलिंग , मेटल ग्रेड iii , तथा पी.सी.सी.कार्य करना था परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार दिनांक 5.6.2016 तक 425 फीट लम्बाई में मिट्टी कार्य ,ब्रिक फ्लैट सोलिंग का कार्य, ब्रिक वर्क तथा 225 फीट लम्बाई में ब्रिकओन एज सोलिंग,पी.सी.सी.कार्यमात्र रु 697392.00 का कार्य किया गया इसके पश्चात कोई कार्य नहीं किया गया जबकि एकरारनामा के अनुसार यह कार्य दिनांक 25.6.2015 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था परंतु इतने दिनों के पश्चात भी यह कार्य अभी तक अधूरा है कार्य पूर्ण नहीं होने से इसका लाभ आम जनता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है

उत्तर में बताया गया कि, इस संबंध में संबंधित संवेदक से पत्राचार किया गया है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर महालेखाकार को सूचित कर दिया जाएगा।

कंडिका(8)– **योजना का नाम : वार्डन.23 में स्टेशन चौक से संतुष्टि होटल जाने वाली........भाग** में P.C.C. निर्माण एवम नाला निर्माण कार्य

एकरारनामा स० : 56 F2/2013-14

संवेदक का नाम : श्री अभय कुमार

प्राक्कलित राशि : रु305630

एकरारनामा की राशि :रु 259786

कार्य प्रारंभ की तिथि :28.11.2013

कार्य समाप्ति की तिथि :27.2.2014

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि : योजना अपूर्ण

अद्यतन भुगतान : रु114328.00

प्राक्कलन के अनुसार 140 फीट लम्बाई में मिट्टी कार्य, बालू भराई, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, P.C.C. ब्रिक वर्क, सीमेंट प्लास्टर तथा R.C.C (P.C.C एवम नाला निर्माण)का कार्य करना है परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार

दिनांक 20.9. 2014 तक 25 फीट लम्बाई में ब्रिकओन एज सोलिंग, 132 फीट लम्बाई में P.C.C. कार्य किया जिसका मूल्य रु 114328.00 है इसके पश्चात कोई कार्य नहीं किया गया जबकि एकरारनामा के अनुसार यह कार्य दिनांक 27.2.2014 तक पूरा हो जाना चाहिये था इस प्रकार लगभग 2.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी यह कार्य अभी तक अधूरा है।

उत्तर में बताया गया कि उक्त कार्य में नाले का डिस्चार्ज प्राप्त नहीं होने के कारण नाले का कार्य नही कराया गया। पथ का कार्य कराकर अंतिम विपत्र बना दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि (1) प्राक्कलन के अनुसार 140 फीट लंबाई में ईंट फ्लैट सोलिंग, पी0सी0सी0,आर0सी0सी0 आदि का काम करना था परंतु मापीपुस्त के अनुसार केवल 25 फीट लंबाई में ईंट फ्लैट सोलिंग का कार्य किया गया अर्थात् 107 फीट लंबाई में पी0सी0सी0 कार्य बिना ईंट एज सोलिंग के किया गया जो कि प्राक्कलन के विरूद्ध है। (2) प्राक्कलन को स्थल निरीक्षण के बाद तैयार किया जाता है। डिस्चार्ज के लिए जगह उपलब्ध नहीं होने का तात्पर्य है कि प्राक्कलन बिना स्थल निरीक्षण किए ही तैयार किया गया।

कंडिका(9)– मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत स्थगित योजनाओं की राशि का अवरोधन, रु 7,53,548

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जिलाशहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार निम्न योजना स्थगित हो गयी है परन्तु जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संबंधित राशि अभी तक सरकार को वापस नहीं की गयी है विवरण निम्न है

क्रम स०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	समाहरणालय द्वारा विमुक्त राशि
1	केसरिया नगर पंचायत के विभिन्नवार्डो में सोलर लाइट का अधिष्ठापन कार्य (2011-12)	578345	375924
2	अरेराजनगर पंचायत वार्ड न 1 में शेर मियां के घर के पास से संभु पाण्डेय के घर तक नाला निर्माण कार्य (2010-11)	300000	105000
3	मेहसी वार्ड न 10 में महेश प्रसाद के घर से खुरखुर चौक तक होते हुए रणधीर कुमार के कारखाना तरफ जाने वाली पथ में नाला निर्माण (2010-11)	89883	58424
4	मेहसी वार्ड न 15 में तरपाकड़ गाँव में शंकर प्रसाद चौरसिया के घर से .... जाने वाली पथ में मिट्टी एवम इटकरण कार्य (2012-13)	200000	130000
5	ढाका गाँधी चौक पर यात्री शेड का निर्माण कार्य (2013-14)	168400	84200
		कुल	753548

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के आलोक में उक्त राशि को जिला पदाधिकारी, पू0चं0 मोतिहारी को वापस कर दिया जाएगा। अतः उपरोक्त राशि सरकार को वापस कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाय।

कंडिका(10)– परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि का बैंक में जमा का सत्यापन नहीं (₹2934284)

जिला शहरी विकास अभिकरण, मोतिहारी पूर्वी चंपारण के लेखाओ के नमूना जाँच के क्रम में परिमाण विपत्र की बिक्री से सम्बंधित मनी रसीद, cashbook आदि कि जाँच में पाया गया कि दिनांक 09.12.2011 से अबतक, कुल ₹2934284 रु० की प्राप्ति हुई थी। इन राशियों के बैंक में जमा का सत्यापन नहीं हो पाया। इसके अलावा यह भी पाया गया कि इन राशियों को सरकार के सम्बंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।

उत्तर में बताया गया कि बी0ओ0क्यू0 की राशि संबंधित बैंक में जमा कर दी गयी है। रोकड़वही में कई राशियों का योग एकसाथ दर्ज किया गया है एवं उसी राशि को बैंक खाते में अलग– अलग दर्शाया गया है। यथाशीघ्र इसकी स्पष्ट एवं विस्तृत विवरणी तैयार कर महालेखाकार को अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी जवाब दिया गया कि विभाग से निदेश प्राप्त कर राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा। राशि संबंधित शीर्ष में जमा कराकर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

सामान्य अभ्युक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में सुधार की आवश्यकता है। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार– II)
स0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार (सा0प्र0–I / स्था0नि0)